कार्यालय : अभिहित अधिकारी–सह–अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, धनबाद
सदर अस्पताल परिसर, कोर्ट मोड़, धनबाद–826001
dofsdhanbad@gmail.com/fsodhanbad@gmail.com
(खाद्य सुरक्षा शाखा)

fssai

पत्रांक 102 /खा0सु0 दिनांक 07/08/2025

प्रेषित,

Sudhanshu Kumar Shekhar
President
360 Research Foundation
Tumakaria, Narkatiaganj,
West Champaran, Bihar-845455

विषय :– धनबाद जिला में **Fostac** का प्रशिक्षण देने हेतु अनुमति प्रदान के संबंध में।

प्रसंग :– स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण, झारखण्ड का आदेश सं0सं0 **SFL-15-02/2019,365(16)** दिनांक–24.11.2021

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में आपके द्वारा आवेदन प्रेषित कर धनबाद जिला क्षेत्र में Fostac का प्रशिक्षण देने हेतु इच्छा व्यक्त किया गया है। आपके आवेदन के आलोक में प्रसंगधीन पत्र में निहित बिन्दुओं, अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निर्धारित दर–(INR-Per Participant) तथा निम्नांकित बिन्दुओं का अनुपालन अनिवार्य रूप से करने की शर्तो के साथ धनबाद जिला क्षेत्र में प्रशिक्षण देने हेतु अनुमति प्रदान की जाती है।

1. Street Food Vendors का Fostac का प्रशिक्षण निःशुल्क कराना अनिवार्य होगा।
2. सभी विद्यालयों के Head Cook एवं Assistant तथा अंगनबाड़ी सेविकाओं/सहायिकाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
3. सभी Fostac का प्रशिक्षण Offline mode में ही कराना अनिवार्य होगा।
4. प्रशिक्षण कार्यक्रम भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा प्रमाणीकृत प्रशिक्षक एवं आकलन कर्ता द्वारा किया जायेगा।
5. बैच में अधिकतम प्रतिभागियों की संख्या–50 होगी।
6. समय–समय पर भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अनुशंसित प्रशिक्षण कोर्स के अनुसार प्रशिक्षण प्रदान करना होगा।
7. प्रशिक्षण कार्यक्रम की अवधि भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा समयवधि से कम नही होगा।

Scanned with OKEN Scanner

8. प्रशिक्षण प्रारंभ करने के समय शुल्क लेने के पश्चात् प्रतिभागी को प्राप्ती रसीद अनिवार्य रूप से देना होगा।
9. अभिलेखों यथा–नामांकरण प्रपत्र (Enrollment form) आधार कार्ड के साथ उपस्थिति पंजी (Attendence Sheet) Assessment paper, Feedback form अनिवार्य रूप से संधारित कर 10 दिनों के अंदर जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।
10. प्रशिक्षण से पूर्व एवं बाद में सभी प्रतिभागियों के साथ सामुहिक फोटो खिचवाना अनिवार्य है।
11. प्रत्येक बैच के प्रशिक्षण का 03 मिनट का विडियो बनाकर अनिवार्य रूप से जिले के खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को समर्पित करना होगा।
12. एजेन्सियों द्वारा किसी विषय से संबंधित प्रशिक्षण हेतु स्थान एवं उसकी जानकारी अद्योहस्ताक्षरी एवं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
13. भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली द्वारा अनुसंशित प्रदर्शन बोर्ड को सभी खाद्य व्यापारियों को अपने प्रतिष्ठान मे लगाने हेतु अनिवार्य रूप से निर्देशित करना होगा।
14. प्रशिक्षण हेतु स्थान, इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोजेक्टर, हवाइट बोर्ड, पेपर चार्ट आदि की व्यवस्था संबंधित एजेन्सी द्वारा किया जायेगा।
15. प्रशिक्षण हेतु कार्यक्रम से संबंधित जानकारी का प्रचार–प्रसार एजेन्सियों के द्वारा आवश्यक रूप से करना अनिवार्य है।
16. प्रशिक्षण में उपस्थित सभी व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नं0 उपस्थिति पंजी में संधारित करेंगे।
17. प्रशिक्षण पुर्ण होने के उपरांत प्रशिक्षण प्रमाण–पत्र मे निहित उपरांकित बिन्दुओं का अनुपालन करते हुए यथाशिघ्र धनबाद जिले क्षेत्र में Fostac का प्रशिक्षण प्रारंभ करने हेतु कारवाई सुनिश्चित करें।

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी
धनबाद।

अभिहित अधिकारी सह–
अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी
धनबाद।

Scanned with OKEN Scanner